


यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

..... (सीकर) बनाम (सीकर)

मुकदमा नं. 136 LRA/19 सन् 2011

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
079	<p>प्रार्थी श्री श्री वकील श्री रामचन्द्र किशोरजी ने प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थक श्री रामचन्द्र किशोरजी अपाधी गण के अतिरिक्त लक्ष्य किशोर राम किशोर दास दिनांक 21-10-19 को पेश की है।</p> <p>21/10/19 - पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी हाजिर। अपाधी स० श्री लालचंद लोकर आदि। इनको आवाजे दिमागी जमी। काबू आवाजे अपाधी स०। अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अहम में लानी जाती है। वकील प्रार्थी ने प्रमाण पत्र कार्यलय राम पंचायत लाखनी का इस आदेश का पेश किया किशोर श्री मंगलराम स० पंद्रा राम जाति जाट निवासी ज्ञान चरणवर्मा मु०पो लाखनी तह खण्डेला जिला सीकर का रहने वाला है तब</p>	

तारीख हुक्म

इसका परिवार राशन कार्ड में नाम मंगे लारा
 5% चन्द्राराम है, व राजस्थान राशन कार्ड में मंगे लारा
 5% मांगूराम है। यह दोनों नाम एक ही हैं।
 उक्त प्रमाण पत्र आधिकारिक मिला जा रहा
 वकील काकी प्राणी विवेक देव विवेक सिद्धा ।
 कथन सुनी गयी। दोराने कथन सुनते मिला कि
 वाद ग्राहक इति में प्राणी के पिता का नाम
 मांगूर के स्थान पर चन्द्रा सिद्धा जाग है सही
 नाम चन्द्रा ही कथन उक्त: ^{प्राणी के} आधार कार्ड, निवाचन
 पत्रपत्र पत्र, राशन कार्ड में दर्ज है। अतः राजस्थान
 राशन कार्ड में भी प्राणी के पिता का नाम मांगूर के
 स्थान पर चन्द्रा उक्त मिला जाये।



वकील प्राणी के कथन सुनी गयी
 पत्रपत्र पत्र पर उपर्युक्त दस्तावेजों
 के आधारे मिला जाय। प्राणी द्वारा प्रस्तुत
 दस्तावेज कथन प्राणी का आधार कार्ड, मतदार पत्रपत्र
 पत्र, राशन कार्ड में प्राणी के पिता का नाम चन्द्राराम
 अंकित है तथा नाम पत्र लाखनी द्वारा जारी प्रमाण
 पत्र दिनांक 21-10-19 में भी मंगे लारा व
 मांगूर नाम एक ही नाम होने बताया है। अतः
 प्राणी के कथन की पुष्टि होती है। तथा उक्त
 दस्तावेजों के आधारे के प्राणी का प्रमाण
 015/136 RLR Act स्कीमा सिद्धा जाग है
 तथा आदेश मिला जाग है कि:-

राजस्थान राम चरणवास उर्फ गंगानिवान
 2/10

ख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

अध-
हुकम की तालिका
में जारी हुए

का वास परिवार टिका लायनी तहसील
खण्डेला जिला सीकर के अंकि नं० न०
33 ता 39, 41 ता 48, 52, 70 ता 74 कुल
किता-21 कुल रकबा 9.77 है 0 एवं खण्ड
49, 50, 51 कुल किता-3 कुल रकबा 3.33 है
के राजस्व रिकार्ड के प्राप्ति के पिता का नाम
"मांगू" के स्थान पर "चन्द्राभा" हुआ किता
जावे। पामना हेतु तहसीलदार खण्डेला
की तहरीर जारी हो। पत्रावली में अल
सुमार दोबले नम्बर है अज से आद. तहसील
वा खिलम पत्र हो।

for
21/10/19

(रणजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

